पुस्तकों के प्रचार–प्रसार से संबद्ध परिसंवाद/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला/वार्षिक समारोह आदि के आयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों/निजी संगठनों के लिए आर्थिक सहायता योजना

क. परिचय

पुस्तकों के प्रचार–प्रसार से संबद्ध परिसंवाद/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला/वार्षिक समारोह आदि के आयोजन के उद्देश्य से कई संगठनों ने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है। ये संगठन लेखकों, प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं से संबद्ध हैं। कई अवसरों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तात्कालिक रूप से अनुदान दिए गए ताकि ऐसे परिसंवाद आदि पर अनुमोदित व्यय के 75 प्रतिशत का भुगतान हो सके। पुस्तक जगत के विकास में संलग्न ऐसे संगठनों के आवेदनों पर भविष्य में निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार सहायता दी जाएगी।

ख. क्षेत्र विस्तार

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किसी एक या कई उद्देश्यों से संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी :

1. भारत में पुस्तकों के प्रचार–प्रसार संबद्ध किसी विषय पर भारतीय लेखकों/प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं के लिए परिसंवाद का आयोजन।
2. पुस्तकों के प्रचार–प्रसार से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
3. लेखकों/प्रकाशकों/पुस्तक विक्रेताओं के लिए वार्षिक समारोहों/सम्मेलनों का आयेजन।
4. पुस्तक उद्योग से संबद्ध शोध/सर्वेक्षण का कार्य।
5. पुस्तक उद्योग के विकास आदि के लिए समुचित परिवेश के उद्देश्य से की जाने वाली कोई अन्य गतिविधि।

ग. योग्यता

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अंतर्गत लेखकों, प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं के पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन जो पुस्तकों के प्रचार–प्रसार में संलग्न हों।

घ. अनुदान/सहायता की शर्तें

1. संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम 21) के अंतर्गत पंजीकृत हो। यह कम–से–कम तीन वर्षों से कार्यरत हो।
2. राशि भुगतान करने से पूर्व संगठन को अनुदान के संबंध में एक बांड बनाना पड़ेगा। अनुदान प्राप्त संगठन को यह शपथ (लिखित) लेना पड़ेगा कि उसे केंद्र/राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण से इस निमित्त कोई भी

सहायता–अनुदान नहीं मिला है और इस उद्देश्य से संगठन द्वारा उनमें से किसी प्राधिकरण के पास सहायता या अनुदान के लिए आवदेन भी नहीं किया गया है।

3. संगठन को यह शपथ (लिखित) भी लेना पड़ेगा कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य से होगा जो अनुमोदित है। इसमें असफल रहने पर संगठन को अनुदान की पूरी राशि वापस करनी होगी। दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान भी करना होगा जिसका निर्धारण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।
4. संगठन को निजी संसाधन से वास्तविक व्यय का न्यूनतम 25 प्रतिशत के समतुल्य योगदान देना होगा। इसमें असफल रहने पर संगठन द्वारा ट्रस्ट को आनुपातिक रूप से राशि वापस की जाएगी।
5. परिसंवाद / प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / कार्यशाला / वार्षिक समारोह आदि के आयोजन के लिए ने. बु. ट्र. द्वारा प्रत्येक मद के लिए निर्धारित व्यय के अनुसार सीमित अनुदान दिया जाता है।
6. वित्तीय सहायता प्राप्त किसी संगठन का नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया या भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग के किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
7. अनुदान के लिए अलग लेखा रखा जाएगा। ट्रस्ट द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित समय–सीमा में यह प्रस्तुत करना होगा।
8. अनुदान स्वीकृत होने के एक साल के अंदर अनुदान उपयोग का एक प्रमाण पत्र देना होगा जो यह सत्यापित करे कि अनुदान राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित लेखों का एक विवरण भी विधिवत् संलग्न करना होगा।
9. आयोजन की तिथि से एक माह के अंदर परिसंवाद के रिपोर्ट की एक टंकित / मुद्रित प्रति ट्रस्ट को भेजना पड़ेगा। एक मूल्यांकन रिपोर्ट भी संलग्न करना पड़ेगा जिसमें यह उल्लेख हो कि आयोजन किस प्रकार संगठन, प्रतिभागियों एवं पुस्तक जगत के लिए उपयोगी था।
10. इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग पूर्व के दायित्वों को पूरा करने या ऋण की वापसी के लिए नहीं किया जाएगा।
11. ट्रस्ट को किसी आवेदन को किसी भी चरण में अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। उसे कारण बताने की बाध्यता भी नहीं होगी।
12. संगठन में जाति, वर्ण या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना भारत के सभी नागरिकों का स्वागत हो।
13. संगठन द्वारा ट्रस्ट से पूर्व अनुमति के बिना देश के बाहर किसी विदेशी को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

ङ. सहायता सीमा

योग्यता के आधार पर ही वित्तीय सहायता के सभी आवेदनों पर विचार किए जाएंगे। व्यय के सिर्फ अनुमोदित मदों के लिए अनुदान की अनुमति दी जाएगी। अनुदान की राशि कुल अनुमोदित व्यय का 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

च. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

1. पूर्ण विवरण के साथ सभी आवेदन निम्नलिखित पते पर भेजे जाएं :

   निदेशक
   नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया
   नेहरु भवन,
   5, इंस्टीट्यूषनल एरिया, फेस–2,
   वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

2. प्रत्येक आवदेन में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए :

   अ. संगठन के उद्देश्य एवं गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण।
   आ. संगठन पंजीकृत है या किसी अन्य संगठन से संबद्ध है। यदि किसी संगठन से संबद्ध है तो आवेदन उसके माध्यम से आए जिससे संगठन संबद्ध है।
   इ. प्रबंधन समिति की संरचना।
   ई. नवीनतम सालाना रिपोर्ट।
   उ. संगठन के गत वित्त वर्ष के अंकेक्षित लेखों की एक प्रति। गत वर्ष के तुलन पत्र की एक प्रति भी संलग्न हो।
   ऊ. राज्य/केंद्र सरकार या किसी अन्य निकाय से प्राप्त अनुदान का विवरण। प्रत्येक स्थिति में निम्नलिखित बिन्दुओं का खुलासा करें :

      च. अनुदान प्राप्त करने का उद्देश्य।
      छ. उपयोग किस प्रकार किया गया।
      ज. जिसके लिए सहायता दी गई उसमें क्या प्रगति हुई और
      झ. क्या पिछले अनुदान की सभी शर्तों को पूरा किया गया।

   ए. यह शपथ (लिखित) लेना होगा कि अनुमानित व्यय को तर्कसंगत मान कर अनुमोदन हो जाने, और इन अनुमानों के आधार पर अनुदान का आकलन हो जाने के बाद ट्रस्ट की पूर्व अनुमति के बिना संगठन द्वारा कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा।

   ऐ. अनुमानित व्यय को पूर्णतः समुचित साबित करना होगा। इसके लिए पूर्ण विवरण आवश्यक है।

पुस्तकों के प्रचार–प्रसार से संबद्ध परिसंवाद/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशाला/वार्षिक समारोह आदि के आयोजन के लिए स्वयंसेवी संगठनों/निजी संगठनों के लिए आर्थिक सहायता योजना

आवेदन पत्र

ध्यान दें

1. अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदन पत्र स्पष्ट अक्षरों में भरा जाए।

भाग 1

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. संगठन का नाम और पत्राचार के लिए पूरा पता जिसमें ब्लॉक, तालुक, जिला, राज्य आदि का उल्लेख साफ अक्षरों में हो।

....
....
....
....

2. संगठन का संक्षिप्त इतिहास, उद्देश्य एवं गतिविधियां

....
....
....
....

3. क्या यह भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 (1860 के अधिनियम 21) के अंतर्गत पंजीकृत और जनविश्वास प्राप्त लाभ निरपेक्ष कम्पनी है? विहित संख्या दें

....
....
....

4. संगठन का कार्यालय अपने भवन में है या किराये पर?

....
....
....

5. कार्यक्रम, जिसके लिए आवेदन किया गया है। कार्यक्रम आयोजन का विषय स्पष्ट रुप से लिखा जाए।

....
....
....
....

6. कार्यक्रम की अवधि

....
....

7. क्या इस परियोजना पर होने वाले व्यय के किसी हिस्से का प्रावधान किसी अन्य कार्यालयीय (सरकारी), गैर–कार्यालयीय (गैर–सरकारी) या विदेशी स्रोत से किया गया है या किया जाएगा? यदि हां, तो राशि सीमा और देने वाली एजेंसी के नाम का उल्लेख करें।

....
....
....

8. परियोजना पर कुल अनुमानित व्यय :
रु. ....

9. वांछित अनुदान की राशि :

रु. ....

10. क्या संगठन अपने हिस्से का व्यय करने में सक्षम है? यदि हां, तो संभावित स्रोत का विवरण दें।

....
....

....
....
....

11. संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों/विवरणों की सूची :
    1. संगठन का संविधान/सहमति पत्र
    2. पंजीकरण प्रमाण पत्र
    3. प्रबंधन समिति का संविधान, प्रत्येक सदस्य के विवरण के साथ
    4. नवीनतम अंकेक्षित ब्योरा
    5. गत तीन वर्षों के अंकेक्षित लेखा, गत वर्ष का प्रमाणित तुलन पत्र समेत
    6. परियोजना का विवरण जिसमें परियोजना पर मदवार एवं वर्षवार व्यय का
       विवरण हो

12. अतिरिक्त दस्तावेज़ों की सूची, यदि आवश्यक हो।

....
....
....
....

स्थान..................

तिथि...................

....

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

पदनाम एवं मुहर

बांड

निम्नलिखित दस्तावेज़ों के माध्यम से विदित हो कि केंद्र/............................राज्य सरकार के ....अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक परिसंघ............................. ....(आगे इन्हें आवेदक कहा जाएगा)..................जिसका कार्यालय................. राज्य/.............केंद्रशासित प्रदेश में है और

1. श्री..सुपुत्र श्री.................................., निवासी............................... ....और

2. श्री..सुपुत्र श्री.............................., निवासी............................... ....(आगे इन्हें जमानतदाता कहा जाएगा) एतद्द्वारा ....रु. (....... ....रु. मात्र) की राशि के मामले में भारत के माननीय राष्ट्रपति (आगे इन्हें अनुदानकर्त्ता कहा जाएगा) के प्रति वचनबद्ध हैं और इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा कथित राशि की प्राप्ति की तिथि से लागू 6 प्रतिशत (छह प्रतिशत/वर्ष) ब्याज समेत पूरी राशि नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया को वापस करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

दिनांक..दिन..वर्ष दो हजार............. ....को हस्ताक्षरित

आवेदक के आवेदन पर नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने दिनांक............को लिखित अपने पत्र सं................................जिसे आगे 'स्वीकृति पत्र' कहा जाएगा (और इन दस्तावेज़ों का अभिन्न हिस्सा होगा और जिसकी प्रति परिशिष्ट की तरह उनके साथ संलग्न होगी) के माध्यम से आवदक के नाम ....उद्देश्य से ....रु. (....................................रु. मात्र) का अनुदान देने की सहमति दी है और आवेदक को भुगतान भी किया जा चुका है (जिसकी प्राप्ति की स्वीकृति आवेदक ने दी है)। इस उद्देश्य से आवेदक ने दो जमानतियों के साथ एक बांड बनाया है, जिसमें उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का पूरा ध्यान रखा गया है। उल्लेखनीय है कि आवेदक ने इसके लिए आवेदन किया और जमानतियों ने अपनी सहमति दी है।

उक्त शपथ–पत्र की यह भी एक शर्त है कि यदि आवेदक अनुदान पत्र में लिखित सभी शर्तों का विधिवत् अनुपालन करता है तो यह बांड या शपथ–पत्र निरर्थक एवं निष्प्रभावी हो जाएगा, अन्यथा यह शब्दशः प्रभावी रहेगा।

ये दस्तावेज़ निम्नलिखित तथ्यों के भी साक्ष्य हैं कि :

क. नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के अध्यक्ष या प्रशासनिक रूप से संबद्ध ट्रस्ट के प्रशासनिक प्रमुख का निर्णय इस विषय में मान्य होगा कि स्वीकृति–पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का आवेदक द्वारा किसी प्रकार उल्लंघन हुआ है या नहीं और यही निर्णय अंतिम एवं आवेदक के लिए मान्य होगा।

ख. इसके अंतर्गत जमानती का उत्तरदायित्व इस वजह से बाधित या समाप्त नहीं होगा कि सरकार द्वारा दिया गया समय बीत गया या आवेदक द्वारा पूरा किए जाने वाले किसी दायित्व या शर्त के संबंध में जमानती को जानकारी दिए बिना या उसकी सहमति के बिना अनुदानकर्त्ता या उसकी ओर से कोई स्थगन, क्रिया या नजरअंदाज किया गया या इस प्रावधान से संबद्ध जमानती से संबद्ध किसी कानून के तहत किसी मामले या विषय की वजह से कथित जमानतियों को इस दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता, और न अनुदानकर्त्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जमानती से पहले आवेदक पर मुकदमा करे या बकाया राशि के लिए दोनों पर मुकदमा करे।

ग. आवेदक इससे सहमत है और ट्रस्ट को वह सभी आर्थिक और/या अन्य लाभ का मौद्रिक मूल्य वापस करने/भुगतान करने का वचन देता है जो यह अनुदान के अनधिकृत उपयोग (जैसे परिसर को पर्याप्त या अपर्याप्त किराये पर लगाने या अनुदान के उद्देश्य से पृथक परिसर के उपयोग) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकता है/प्राप्त कर चुका है या मोटे तौर पर अनुदान की राशि से परिसंपत्ति/भवन बनवाया गया/मरम्मती करवाई गई। ट्रस्ट को वापस/भुगतान किए जाने वाले मौद्रिक मूल्य के संबंध में नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के अध्यक्ष या इस मामले से प्रशासनिक रूप से संबद्ध ट्रस्ट के प्रशासनिक प्रमुख का निर्णय अंतिम और आवेदक के लिए मान्य होगा।

घ. स्वीकृति–पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों की अवमानना या उल्लंघन की स्थिति में आवेदक या जमानतियों को ट्रस्ट द्वारा मांगे जाने पर बिना किसी विलंब के पूरी राशि....................रु. (.. रु. मात्र) ट्रस्ट को वापस करनी होगी और ट्रस्ट को वापस/भुगतान किए जाने वाले मौद्रिक मूल्य के संबंध में नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया का निर्णय अंतिम और आवेदक के लिए मान्य होगा।

ङ. अनुमोदन पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों की अवमानना या उल्लंघन की स्थिति में आवेदक या जमानतियों को ट्रस्ट द्वारा मांग जाने पर बिना किसी विलंब के पूरी राशि....................रु. (.. रु. मात्र) या ट्रस्ट द्वारा मांगी गई राशि आवेदक को वापस करनी होगी जिस पर वापसी की तिथि तक कथित राशि की प्राप्ति की तिथि से लागू 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी ट्रस्ट को देना होगा।

च. यदि इन प्रस्तुतियों पर कोई स्टाम्प ड्यूटी लगे तो ट्रस्ट उसका खर्च वहन करने को सहमत है।

निम्नलिखित गवाहों के समक्ष आवेदक एवं जमानतियों की ओर से उक्त दस्तावेज दिनांक............... एवं वर्ष को लिखे गए और नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के अध्यक्ष के

लिए और उनकी ओर से श्री/श्रीमती....................................(पदनाम) द्वारा उनके हस्ताक्षर के साथ आंकित तिथि एवं वर्ष को स्वीकार किए गए।

....(आवेदक का नाम एवं पदनाम) द्वारा...................... ....के लिए और उसकी ओर से ....को हस्ताक्षरित।

जमानती (हस्ताक्षर)	गवाह (हस्ताक्षर)
1. श्री......................................	1. श्री.....................................पता..................
....	पता..
....	....
....	....
2. श्री......................................	2. श्री.....................................पता..................
....	पता..
....	....
....	....

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के लिए और उसकी ओर से स्वीकार किया गया।

नई दिल्ली	हस्ताक्षर....................................
दिनांक	नाम..

प्रस्ताव

संख्या.................................... दिनांक....................................

....के शासी निकाय/प्रबंधन समिति द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि :

क. *(संगठन का नाम)* .... द्वारा *(कार्यक्रम का नाम जिसके लिए अनुदान अनुमोदित है)* ....का आयोजन किया जाएगा जिसे नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने दिनांक.........................को अपने पत्रांक *(अनुमोदन पत्र संख्या एवं तिथि)* ....द्वारा अनुमोदित कर दिया है;

ख. ....के अध्यक्ष/सचिव श्री/श्रीमती...................................... को ....रु............................से संबद्ध बांड बनाने और हस्ताक्षर करने का अधिकार दे दिया गया है; और

ग. .... स्वीकृति–पत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों, जो परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं, का पालन करेगा।

यह प्रस्ताव एतद्द्वारा निर्विवाद रूप से पारित किया जाता है।

सचिव का हस्ताक्षर
मुहर सहित

अध्यक्ष का हस्ताक्षर
मुहर सहित

पूर्व पावती

दिनांक....................................के ट्रस्ट के स्वीकृति–पत्र संख्या.............................. के अनुसार नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, भारत के सक्षम अधिकारी (सहायता–अनुदान) से ....रु. (......................रु. मात्र) का दिनांक.................................को जारी चेक/ड्राफ्ट (सं............) प्राप्त किया।

रसीदी टिकट

हस्ताक्षर..पदनाम............
..............................कार्यालय की मुहर.................
....

नोट : यह पूर्व पावती संबद्ध संगठन/संस्थान/विश्वविद्यालय के लेटरहेड पर दिया जाना चाहिए। इस पर सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम के साथ–साथ कार्यालय की मुहर और रसीदी टिकट लगा हो।

बांड, प्रस्ताव एवं पूर्व पावती तैयार करने हेतु सूची

बांड

1. जमानतियों से संबद्ध कॉलम (हस्ताक्षर, नाम एवं पता)
2. गवाहों से संबद्ध कॉलम (हस्ताक्षर, नाम एवं पता)
3. बांड बनाने की तिथि
4. विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन के लिए और उसकी ओर से कुलसचिव/सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रस्ताव

1. विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन का नाम
2. कार्यक्रम का नाम जिसके लिए सहायता–अनुदान चाहिए
3. कुलसचिव/और अन्य सक्षम अधिकारी या अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर
4. पूर्व पावती पर कुलसचिव/और अन्य सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर हो, रसीदी टिकट एवं कार्यालय की मुहर भी लगी हो